

**समाहरणालय, गोपालगंज।**  
(जिला परिवहन कार्यालय)

**आम सूचना**

प्रदुषण जॉच केन्द्र प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदुषण जॉच केन्द्र रहित प्रखण्ड मांझा, थावे, कटेया, पंचदेवरी एवं विजयीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत प्रदुषण जॉच केन्द्र की स्थापना हेतु इच्छुक आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमात्रत किया जाता है।

**लाभुक की अहर्ता :-**

1. लाभुक(आवेदक) उसी प्रखण्ड के निवारी होंगे, जिस प्रखण्ड में प्रदुशण जॉच केन्द्र की स्थापना की जानी है।
2. आवेदक मोटर वाहनों के रख—रखाव एवं उसकी सर्विसिंग आदि की व्यवस्था करता है। आवेदक स्वयं या उपका स्टॉप मैकेनिकल /इलेक्ट्रीकल अथवा ऑटोमोबाइल अनियंत्रण में डिग्रीधारी /डिप्लोमाधारी हो अथवा इंटरमीडिएट /बारहवी कक्षा(विज्ञान के साथ) उत्तीण हो, या मोटर वाहन से संबंधित किसी ट्रेड में आई०टी०आई० उत्तीण हों।
3. इस योजना अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर प्रदुषण जॉच केन्द्र खोलने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों के क्य मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3.00 तीन लाख रुपये मात्र प्रोत्साहन राशि स्वरूप संस्थापक (आवेदक) को भुगतेय होगा।
4. आवेदक विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र जिला परिवहन कार्यालय में सभी वांछित कागजातों के साथ देंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रदुषण जॉच केन्द्र की स्थापना हेतु योग्य अभ्यर्थी का चयन उनके स्थायी पता एवं शैक्षणिक योग्यता तथा तकनीकी योग्यता के अहर्ता के आधार पर किया जायेगा।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात समर्पित करना होगा।
  - (क) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
  - (ख) प्रदुषण जॉच केन्द्र की स्थापना हेतु स्वयं या स्टॉफ की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति।
  - (ग) बैंक पास बूक के प्रथम पृष्ठ की पढ़नीय स्व अभिप्रमाणित प्रति।
  - (घ) आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
6. यह योजना पेट्रोल पम्प एवं वाहन सर्विस सेन्टर के परिसर में मोटर वाहन प्रदुशण जॉच केन्द्र स्थापित करने हेतु मान्य नहीं होगा।
7. योजना के लाभ लेने वाले व्यक्तियों को योजना अन्तर्गत दोनों प्रकार के वाहन यथा पेट्रोल एवं डीजल वाहनों का पी०य०सी० सर्टिफिकेट निर्गत करने हेतु स्मोक मिटर एवं गैस एनॉलाईजर दोनों का क्य कर प्रदुषण जॉच केन्द्र स्थापित करना होगा।
8. आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र परिवहन विभाग के वेवसाईड अथवा जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज से प्राप्त किया जा सकता है।

**जिला पदाधिकारी**  
**गोपालगंज।**